आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 27 / 2020–राज्य कर

शिमला–2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.–एफ.(10)–4 / 2020.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्ः–

सारणी

क्रम सं0	त्रैमास जिसे लिए प्ररूप जीएस टीआर–1 में ब्योरे प्रस्तुत किए गए हैं	प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	31 जुलाई, 2020
2.	जुलाई, 2020 से सितम्बर 2020	31 अक्तूबर, 2020

3. अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्योरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा, तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव,
आबकारी एवं कराधान।

[*Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 27 /2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1.	April, 2020 to June, 2020	31st July, 2020
2.	July, 2020 to September, 2020	31st October, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 28 / 2020–राज्य कर

शिमला–2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–4 / 2020.––आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप–धारा (1) के दूसरे परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा, तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।